रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 248] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 11, 1970/आषाढ़ 20, 1892
No. 248] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 11, 1970/ASADHA 20, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July 1970

S.O. 2375.—Whereas the Shah Nawaz Khan Committee appointed by the Government of India in April, 1956, to inquire into and to report to the Government of India on the circumstances concerning the departure of Netaji Subhas Chandra Bose from Bangkok about the 16th August, 1945, his reported death as a result of an aircraft accident, and subsequent developments connected therewith, had come to the conclusion that Netaji Subhas Chandra Bose met his death in an air crash;

And whereas there is a widespread feeling amongst the public that the problem of finding the truth about Netaji's death still remains;

And whereas there has been a persistent demand for a further inquiry into the matter;

And whereas the Central Government is of opinion that it is necessary to appoint a Commission of Inquiry for the purpose of making an inquiry into a definite matter of public importance, namely, the disappearance of Netaji Subhas Chandra Bose in 1945;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government hereby appoints a Commission of Inquiry consisting of Shri G. D. Khosla, Retired Chief Justice of the Punjab High Court, as sole member.

2. The Commission shall inquire into all the facts and circumstances relating to the disappearance of Netaji Subhas Chandra Bose in 1945 and the subsequent developments connected therewith and make its report to the Central Government. The Commission will be expected to complete its inquiry and make its report by the 31st December, 1970.

3. The Central Government is of opinion that, having regard to the nature of the inquiry to be made and other circumstances of the case, all the provisions of sub-section (2), sub-section (3), sub-section (4) and sub-section (5) of section 5 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952) should be made applicable to the said Commission and the Central Government hereby directs under sub-section (1) of the said section 5 that all the provisions aforesaid shall apply to the said Commission.

[No. 25/14/70-Poll.II.]

T. C. A. SRINIVASAVARADAN, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 1970

एस० ओ० 2375.—यतः शाहनवाजखां समिति जो नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के 16 अगस्त, 1945 के लगभग बैंकाक से प्रस्थान, एक विमान दुर्घटना के परिणामस्वरूप उनकी प्रतिवेदित मृत्यु से सम्बन्धित परिस्थितियों तथा उसके सम्बन्ध में तत्पश्चात सामने आने वाली बातों के विषय में जांच करने और भारत सरकार को उसकी रिपोर्ट देने के लिए भारत सरकार द्वारा अप्रैल, 1956 में नियक्त की गई थी, इस परिणाम पर पहुंची थी कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की मृत्यु एक विमान-घटना में हुई थी ;

और यतः जनता में यह भावना व्याप्त है कि नेताजी की मृत्यु सम्बन्धी सच्चाई का पता लगाने की समस्या अभी तक बनी हुई है ;

और यतः निरन्तर यह मांग रही है कि इस विषय में आगे जांच की जाए ;

और यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि निश्चय रूप से लोक महत्व के इस मामले में अर्थात् 1945 में नेता जी सुभाष चन्द्र बोस के गायब हो जाने के विषय में, जांच करने के प्रयोजन के लिए एक जांच आयोग नियक्त करना आवश्यक है ;

अतः अब, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा एक जांच आयोग नियुक्त करती है जिसके एकमात्र सदस्य पंजाब उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, श्री गोपाल दास खोसला होंगे ।

2. आयोग, 1945 में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के गायब हो जाने से सम्बन्धित सभी तथ्यों और परिस्थितियों तथा उसके सम्बन्ध में तत्पश्चात सामने आने वाली बातों के विषय में जांच करेगा और केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट देगा । आयोग से यह आशा की जाएगी कि वह 31 दिसम्बर, 1970 तक अपनी जांच पूरी करले और अपनी रिपोर्ट दे दे ।

3. केन्द्रीय सरकार की राय है कि की जाने वाली जांच और मामले की अन्य परिस्थितियों के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 5 की उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4), और उपधारा (5) के सभी उपबन्ध उक्त आयोग को लागू किए जाने चाहिए तथा केन्द्रीय सरकार उक्त धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन एतद्द्वारा निदेश देती है कि उपयुक्त सभी उपबन्ध उक्त आयोग को लागू होंगे ।

[संख्या 25/14/70-पोल II.]

टी० गी० ए० श्रीनिवासवर्द्धन, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970